

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 196 / 2012 एस0टी0

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

अवधेश पुत्र रामबाबू शर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी
ग्राम ऐंचाया थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशव सिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 471 / 2012 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 196 / 2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 28-10-2014 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 304बी, 498ए भारतीय दंड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 24.03.2012 को ग्राम ऐंचाया थाना गोहद में मृतिका पूनम की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर अस्वभाविक परिस्थितियों में हुई तथा उसकी मृत्यु के पूर्व उक्त महिला को उसके पति होते हुए दहेज में कम रुपए लाने को लेकर प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उस पर यह भी आरोप है कि विवाह के कुछ दिन पश्चात् से दिनांक 24.03.2012 के पूर्व तक महिला पूनम के पति होते हुए उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान मृतिका पूनम के ससुरालजन पति रहते हुए दहेज में कम रुपए लाने पर उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की।

02. यह अविवादित है कि मृतिका का पूनम का विवाह अवधेश शर्मा के साथ

सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद मृतिका पूनम अपने मायके आती जाती थी। यह भी अविवादित है कि प्रकरण में सहआरोपीगण बृजेश शर्मा, श्रीमती पुष्पा शर्मा व श्रीमती संतोष शर्मा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.आर.सी क्रमांक 2926 आदेश दिनांक 10.05.2013 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्वेश करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.12 को ग्राम ऐचाया के चौकीदार महादेव के द्वारा थाना गोहद में इस आशय की सूचना दी गई कि केदार पटेल के भतीजे के मकान की तरफ से गाँव के लडके भागकर आ रहे थे उनसे पूछा कि क्या हो गया तो लडकों ने बताया कि अवधेश की बहू ने आग लगा ली है और उसका एक बच्चा भी आग से जलकर खत्म हो गया है। वह अवधेश के मकान पर पहुँचा तो अंदर एक महिला तथा एक बच्चा मरा दिखा था, घर के सभी लोग भाग गए थे केवल केदार मौजूद था। उक्त सूचना पर थाना गोहद में मार्ग अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी मार्ग क्रमांक 11/12 पर दर्ज किया गया। मार्ग की जाँच की गई, मृतिका एवं उसके मरे हुए पुत्र के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया तथा मृतिका के शव का परीक्षण कराया गया। मार्ग की जाँच के दौरान बृजमोहन शर्मा के द्वारा एक लिखित आवेदनपत्र पुलिस थाना पर दिया गया था।

04. मार्ग की जाँच के दौरान यह तथ्य आया कि बृजमोहन शर्मा की पुत्री पूनम का विवाह दिनांक 24.03.12 से पांच वर्ष पूर्व अवधेश शर्मा निवासी ऐचाया के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के समय तीन लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के दो साल बाद उसका पति अवधेश तथा उसकी सास संतोष बाई, जेठ ब्रजेश शर्मा एवं जिठानी पुष्पा दहेज के लिए परेशान कर मारपीट करने लगे। उनको आवेदक के द्वारा समझाया गया। बच्ची पुष्पा का बच्चा एक बार पेट से गिर गया था जिसका इलाज कराकर उन्होंने डिलेवरी कराई थी और उसका खर्चा भी उनके द्वारा किया गया था और उकसे ढाई महीने बाद उसे ससुराल ले गये थे। लडकी को ले जाने के बाद उनके द्वारा धमकी दी थी कि दहेज कम दिया था इस कारण लडका होने के उपलक्ष में पछ में मोटर साइकिल, चैन, अंगूठी, तोडिया, लडका को चॉदी का चूरा, सोने की चैन व घर वालों को कपडे दिए थे उसके बाद उक्त घटना के करीब 6 माह पश्चात् लडकी पूनम के द्वारा यह शिकायत की गई उसकी ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपए की माँग कर रहे हैं और नहीं देने पर उनके द्वारा धमकी दी जा रही है और उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पहली शादी की पत्नी को मार दिया गया है उसमें कुछ नहीं हुआ उसी तरफ उसे भी मार देंगे। उसके माता-पिता गरीब होने के कारण पैसा देने में असमर्थ थे। तत्पश्चात् दिनांक 24.03.12 को 07:30 बजे ग्राम ऐचाया से फोन से

सूचना मिली कि उसकी लडकी व बच्चे को मारकर जला दिया है। सूचना मिलने पर उसका पिता व अन्य लोग मौके पर पहुँचे और वहाँ देखा कि लडकी और बच्चा कमरे में अंदर मृत पड़े थे और कमरे में धुँआ निकल रहा था। बाहर का दरवाजा खुला था और कमरे के अंदर का दरवाजा बाहर से खुल रहा था और बंद भी हो रहा था। मर्ग की जाँच के उपरांत अपराध घटित होना पाये जाने से धारा 304बी, 498ए भारतीय दंड विधान एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 17 की लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना आगे की गई, जप्ती आदि की कार्यवाही की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

05. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी.आर.सी क्रमांक 2926/13 श्रीमती संतोष विरुद्ध स्टेट में पारित आदेश दिनांक 10.05.2013 के अनुसार सह आरोपी ब्रजेश शर्मा, पुष्पा शर्मा एवं संतोष शर्मा के संबंध में कार्यवाही समाप्त किए जाने के आदेश के अनुसार उक्त सहआरोपीगण के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई।

06. आरोपी अवधेश के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी, 498ए भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोपी पाये जाने से आरोप लगाकर पढाकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया, उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

07. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए उसे झूठा फंसाया गया होना अभिकथित किया। उसने यह भी बताया कि वह घटना दिनांक को दूसरे गाँव मजदूर लेने गया था। मृतिका पूनम अक्सर बीमार रहती थी और उसका गर्भाशय, पेट आदि में दर्द होता था और मासिक धर्म भी नहीं होता था और उसका गर्भ भी गिर गया था जिससे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इस कारण उसके द्वारा घटना कर ली गई। बचाव में बचाव साक्षी श्रीमती द्रोपती अ0सा0 1, मिथलेश अ0सा0 2, रामरूप अ0सा0 3, डॉक्टर जी.पी. गुप्ता अ0सा0 4 एवं संतोष शर्मा अ0सा0 5 के कथन कराए गए हैं।

08. आरोपी पर आरोपित अपराध के संबंध में विचारण है कि –

1. क्या पूनम की मृत्यु 24.03.2012 को उसकी ससुराल ग्राम ऐचाया थाना गोहद में सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा दाह(जलने) के कारण हुई है?
2. क्या मृतिका पूनम की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर कारित हुई?

3. क्या मृतिका पूनम की मृत्यु के कुछ पूर्व आरोपी जो कि उसका पति है के द्वारा दहेज की माँग को लेकर उसे परेशान और तंग कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया?
4. क्या मृतिका पूनम की मृत्यु दहेज मृत्यु है?
5. क्या आरोपी के द्वारा मृतिका पूनम को उसके विवाह के कुछ समय उपरांत से उसकी मृत्यु दिनांक 24.03.12 के पूर्व तक उसके पति होते हुए उसे प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया?
6. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान मृतिका पूनम के पति रहते हुए दहेज के रूप में राशि की माँग की गई?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6

09. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
10. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0द0सं0 में प्रावधान किया गया है। उक्त धारा हेतु आवश्यक तत्व हैं कि:—
 - 1— किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुयी हो ?
 - 2— मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुयी हो ?
 - 3— मृत्यु के पूर्व उसके पति एवं पति के नातेदार द्वारा उसे तंग या क्रूरता की गयी हो और उसे तंग किया गया हो ?
 - 4— इस प्रकार की क्रूरता एवं तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व किया गया हो ?

यदि उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु मानीजायेगी ओर ऐसे पति एवं पति के नातेदार मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेंगे ।
11. इस संबंध में धारा **113 बी** साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करती है। जिसके अनुसार—“जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की माँग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था तो न्यायालय यह उपधारणा

करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है”।

12. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्शाये गये आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती तो उस दशा में ही धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत समग्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

13. मृतिका पूनम जो कि अविवादित रूप से आरोपी अवधेश की विवाहिता पत्नी है, की मृत्यु का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में मृतिका पूनम की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की सूचना दिनांक 24-3-12 को 19:40 बजे थाना गोहद में कोटवार महादेव के द्वारा दी गयी है, जो कि अकाल मृत्यु सूचना प्र0पी0 10 थाना गोहद में दर्ज की गयी है। इस संबंध में कोटवार महादेव अ0सा08 के द्वारा अकाल मृत्यु जो कि पूनम के द्वारा आग लगाकर उसके मर जाने और उसके साथ उसका एक बच्चा भी जलकर मर जाना प्र0पी0 10 में दर्ज कराया गया है। साक्षी महादेव अ0सा0 8 ने यह भी बताया है कि पुलिस मौके पर आयी थी और कमरे का दरवाजा खोला था और आग बुझाई थी। उक्त सूचना उपरांत थाना गोहद में मार्ग क्रमांक 11/12 धारा 174 सी0आर0पी0सी0 कायम किया गया है। मृतिका एवं उसके मृत बालक का पोस्टमार्टम कराया गया है।

14. मृतिका पूनम का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा011 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 25-3-12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ रहे हैं। थाना गोहद के आरक्षक के द्वारा लाये जाने पर महिला पूनम का शवपरीक्षण उनके द्वारा किया गया था। **वाह्य परीक्षण में** – महिला सामान्य कद काटि की थी। उसके दोनों हाथ एवं दोनों पैर आधे मुड़े हुये थे और दोनों कलाईयां आधि खुली थी जिसकी बॉडी जलने के कारण मृत अवस्था में थी (पजलिस्टिक एटीट्यूट) उसके पैर एवं तलवों की स्किन उखड़ रही थी। उसकी जीभ बाहर निकली थी और आंखे आधी खुली हुयी थी। उसके शरीर का पेट और छाती पर जले हुये कपड़े थे। सिर के बाल सीधी तरफ ज्यादा जले हुये थे। उसके दांये कांख में बाल उपस्थित थे उसका पूरा शरीर जलने से काला हो गया था। **आन्तरिक परीक्षण में** – उसकी खोपड़ी, मस्तिस्क, मेरूरज्जु सभी सामान्य थे। गले में ट्रेंकिया में कार्बन के कण मौजूद थे। उसका पेट का पर्दा सामान्य था ओर खाली था। बड़ी आंत में अधपचा भोजन था। उसके यूटेरस में 6-7 सप्ताह का भ्रूण मौजूद था। मृतिका के शरीर के लिवर, किडनी, तिल्ली, हार्ट, लंग, आंत और सिर के बाल जांच के लिये भेजे थे। अभिमत में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु का कारण जलने के

कारण शॉक में आ जाने के कारण हुयी थी। जिसकी अवधि 24 घंटे के अन्दर की थी। मृत्यु का कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अवधारित किया जा सकता है। रिपोर्ट प्र0पी0 15 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उनके सहयोगी चिकित्सक डॉ0 आलोक शर्मा के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उन्होंने प्र0पी0 15 में शव के संबंध में पजलिस्टिक एटीट्यूट जिसका तात्पर्य यह है कि जलने के बाद शरीर की स्थिति से है। मृतिका का शरीर 100 प्रतिशत जल हुआ पाया था। उन्होंने रिपोर्ट में शरीर पूरा जला हुआ लिखा है। मृतिका की मृत्यु का कारण वर्न शॉक होना उनके द्वारा अभिमत में बताया गया है।

15. उपरोक्त संबंध में डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 6 जिन्होंने कि मृतिका के साथ मृत हुये उसके बालक आदर्श उम्र डेढ साल का शव परीक्षण किया गया था, के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि मृतिक आदर्श का पूरा शरीर झुलसा हुआ था। उसके सिर व दिमाग का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा था और पेट से दांये तरफ छोटी आंत भी बाहर निकल रही थी और शरीर में मिटटी के तैल की बू आ रही थी। हृदय का बांया चेम्बर खाली था और दोनों फेंफड़े आंखें की झिल्ली और प्लीहा कंजेस्टेड थे। अभिमत में बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु वर्नशॉक के द्वारा हुयी थी जो कि परीक्षण के 24 घंटे के अन्दर की थी। जांच रिपोर्ट प्र0पी06 पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के द्वारा बताया गया है कि मृतिका आदर्श की मृत्यु स्वांस नली के अवरुद्ध होने से हुयी थी। जलने के कारण लपटों से सिर और पेट दोनों फटे होना भी स्वीकार किया गया है।

16. उपरोक्त साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा के द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि दिनांक 3-4-12 को थाना गोहद के द्वारा क्वेरी लायी गयी थी जिसमें मृतिका पूनम और आदर्श को जले हुये चोट के संबंध में अभिमत पूछा गया था, जिसमें कि उनके मतानुसार बर्न इंजुरी मृत्यु के पूर्व की थी। क्वेरी रिपोर्ट प्र0पी0 7 पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

17. इस प्रकार डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा011 के कथन से तथा डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा06 के कथनों से स्पष्ट है कि मृतिका पूनम की जलने से मृत्यु हुयी थी और मृतक पूनम के साथ उसका एक साल का बालक आदर्श भी जल जाने से मृत्यु हो गयी थी। मृतिका पूनम की मृत्यु वर्न इंजुरी के कारण हुई थी।

18. मृतिका पूनम की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके शव का पंचायतनामा लाश कार्यपालन मजिस्ट्रेट नायवतहसीलदार सर्वेश कुमार अ0सा05 के द्वारा तैयार किया गया था। अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उन्होंने मृतिका पूनम के शव का पंचायत नामा लाश तैयार

किया था और लाश को उलटपलट कर देखा था। मृतिका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसका शरीर जल चुका था और कपड़े शरीर से चिपक गये थे। मृतिका के हाथ की हड्डी दिखायी दे रही थी। लाश पंचायतनामा प्र0पी0 3 बनाया था जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी मृतिका का शरीर जले हुये एवं जलने से मृतिका की मृत्यु हो जाना स्पष्ट होता है।

19. मृतिका पूनम की मृत्यु हो जाने और उसकी मृत्यु की प्रकृति के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा01 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि 24-3-12 को उसकी बच्ची के पास घर पर फोन आया था और उसका लडका उसे बताने आया था कि लडकी जला दी गयी और सब भाग गये हैं। वह ग्राम एंचाया पहुंचा तो उसी समय पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने बगल वालों के मकान पर चढ़कर भीतर से कुंदी खोली थी और अन्दर गये तो अन्दर कमरे में पूनम थी और धूँआ निकल रहा था। उसका दरवाजा बंद था पुलिस वालों ने दरवाजा खोल बाहर से कुंदी लगा दी थी और बाहर से कुंदी खुल गयी थी। अन्दर गये तो पूनम लेटी हुयी थी ओर उसका बच्चा भी बगल में लेटा हुआ था और दोनों मृत अवस्था में थे। पूनम के बाल नहीं जले थे और उसके शरीर पर कोई आभूषण भी नहीं थे। पुलिस ने लडकी को निकालकर पंचनामा प्र0पी0 1 बनाया था। साक्षी के द्वारा यह भी बताया है कि उसकी लडकी की मारपीट आरोपी अवधेश और अन्य लोगों के द्वारा परेशान किया जाकर उसे मारकर जला दिया गया।

20. इस संबंध में साक्षी कान्ती शर्मा अ0सा02 ने भी बताया है कि गांव वालों ने खबर दी थी कि पूनम खतम हो गयी है। पूनम को आग लगाकर जलाकर ससुराल वालों ने मार डाला और ससुराल वाले भाग गये थे। साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा03 के द्वारा यह बताया है कि उसकी भतीजी वर्षा ने बताया था कि लडकी पूनम को ग्राम एंचाया में मार दिया गया है। साक्षी पंकज शर्मा अ0सा04 के द्वारा बताया गया है कि पूनम के गले में निशान थे और पूनम के बाल एवं सिर नहीं जला था और आरोपी मारकर भाग गये थे। इसी प्रकार अमिताभ शर्मा अ0सा07 के द्वारा भी बताया गया है कि अन्दर के कमरे का गेट बाहर से हाथ डालकर खुल रहा था और अन्दर से भी खुल रहा था और गेट से हाथ डालकर गेट को खोला गया था और अन्दर जाकर देखा था तो वहां पूनम और आदर्श दोनों मरे पड़े थे। पूनम के शरीर का आगे का भाग जला था और बाल नहीं जले थे। पुलिस ने सफीना फार्म जारी किया था जो प्र0पी0 2 है जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लाश पंचायत नामा प्र0पी0 3 बनाया था जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21. उपरोक्त साक्षियों के द्वारा किये गये कथन का जहां तक प्रश्न है उक्त साक्षियों

के द्वारा अपने कथन में मुख्य रूप से यह बताया जा रहा है कि मृतिका पूनम को मारकर जला दिया गया था। इस संबंध में मुख्य रूप से उनके द्वारा यह आधार बताया गया है कि जिस कमरे में मृतिका पूनम और उसका लडका जले हुये थे उसकी कुंदी बाहर से भी हाथ डालकर खुल रही थी और आरोपी भाग गया था।

22. प्रतिपरीक्षण में साक्षी बृजमोहन अ0सा0 1 के द्वारा बताया गया है कि घटना वाले दिन जब वह ग्राम ऐंचाया पहुंचा तो उसके पहले पुलिस वाले पहुंच गये थे। यह बात स्वीकार की है कि पुलिस वाले ने मकान के बाहर दरवाजे की कुंदी जो कि अन्दर से लगी हुयी थी वह किसी दूसरे के मकान में खुसकर अन्दर से कुंदी खोली थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि जिस कमरे में लडकी थी उस कमरे की कुंदी अन्दर से लगी थी। यद्यपि इस साक्षी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उक्त कुंदी बाहर से हाथ डालकर लगजा रही थी।

23. जहां तक अभियोजन साक्षी कान्ती शर्मा के द्वारा इस संबंध में किये गये कथन का प्रश्न है उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 14 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी लडकी को मरी हुयी अवस्था में नहीं देखा था। वह लडकी की ससुराल उसकी मृत्यु होने पर नहीं गयी थी। घटना के बारे में अपने गांव बिडखरी में सुनकर ही वह बेहोश हो गयी थी। इस प्रकार उक्त साक्षिया घटनास्थल पर मृतिका की मृत्यु के बाद नहीं गयी थी। ऐसी दशा में जबकि वह घटनास्थल पर नहीं गयी थी मृतिका की मृत्यु के बारे में उसके द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

24. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा03, पंकज शर्मा अ0सा04 तथा अमिताभ शर्मा अ0सा07 के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर यह परिस्थिति बतायी जा रही है कि अन्दर वाले कमरे का दरवाजा बाहर से ही हाथ डालकर खुल रहा था और मृतिका पूनम के बाल नहीं जले थे। शरीर के नीचे का हिस्सा जला हुआ था। आरोपी घटना स्थल से भाग गये थे। उक्त बतायी गयी स्थिति का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक डॉ0धीरज गुप्ता अ0सा011 जिनके द्वारा मृतिका का शवपरीक्षण किया गया था उसका शरीर 100 प्रतिशत जला हुआ पाया गया था और सिर के बाल सीधी तरफ ज्यादा जले हुये थे।

25. इस संबंध में विवेचना अधिकारी जी0पी0 शाक्य अ0सा0 13 जिनके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 16 बनाया था और मकान में प्रवेश करने के लिये किसी दूसरे के मकान की छत से किसी व्यक्ति को मकान में प्रवेश कर उतारा गया था और उसने अन्दर जाकर मुख्य द्वार की कुंदी खोली थी। घटनास्थल के कमरे की कुंदी अन्दर से बंद थी और

कुंदी को हाथ डालकर खोला गया था। जिस कमरे में मृतिका जलकर मरी थी उस कमरे की मिट्टी के तैल की कट्टी एवं माचिस, 315 बोर का राउण्ड, मृतिका के वदन के जले हुए कपड़े के टुकड़े जिसमें कि मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, मृतिका के छोटे बच्चे के पहने हुए कपड़ों जिसमें कि मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, घटना स्थल के पास की सादी मिट्टी जिसमें कि तेल की गंध आ रही थी जप्त करना एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 तैयार करना साक्षी जे.एस.यादव अ.सा. 12 तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा घटना स्थल की जो स्थिति बताई जा रही है जिसमें कि मकान की कुंदी अंदर से बंद थी जो कि दूसरे मकान से अंदर जाकर खुलवाई गई थी। अंदर वाले दरवाजे की कुंदी बाहर से हाथ डालकर खोली जाने की परिस्थिति जो साक्षीगण बता रहे हैं उसके आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि मृतिका को अंदर जलाकर कुंदी बंद कर दी गई हो।

26. घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ए0के0खान अ0सा0 9 के द्वारा किया गया है जिन्होंने बताया है कि पूनम एवं उसके पुत्र आदर्श की मृत्यु भीतर बंद कमरे में मिट्टी के तैल से आग लगने से होने के संकेत थे। निरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 13 उनके द्वारा बनायी गयी थी। प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि जिस घटनास्थल पर पहुंचा था उस समय महिला जली पडी थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर मृतिका और उसके बच्चे की मृत्यु कमरे के अन्दर आग लगने के कारण हुयी है। नायव तहसीलदार सर्वेश कुमार के द्वारा भी मृतिका के बाल जले होने के बारे में बताया है। यद्यपि संपूर्ण बाल नहीं जले थे। ऐसी दशा में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मृतिका के बाल घटना में जले नहीं थे। एफ.एस.एल. सागर की रिपोर्ट प्र.पी. 18 में परीक्षण हेतु भेजे गए मृतिका के काले बालों के गुच्छे प्रदर्श 'ए' एवं प्लास्टिक की केन प्रदर्श 'बी' एवं माचिस की तीली प्रदर्श 'डी', अधजले कपड़ों प्रदर्श 'ई', 'एफ' तथा घटना स्थल के पास की मिट्टी प्रदर्श 'आई' में कैरोसिन तेल के अवशेष उपस्थिति होने पाए गए थे। इस प्रकार मृतिका के बाल भी जले हुए थे जिसमें मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी यह उक्त रिपोर्ट के आधार पर भी स्पष्ट होता है। मृतिका के विसरा परीक्षण में कोई रासायनिक बिश होना भी नहीं पाया गया जैसा कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.पी. 20 से स्पष्ट होता है।

27. इसके अतिरिक्त जहां तक कमरे की कुंदी बाहर से खुलने का प्रश्न है। इस संबंध में अवलोकनीय है कि कमरे के बाहर भी कुंदी लगायी गयी थी और अन्दर भी कुंदी थी। कुंदी को पुलिस वालों ने और मकान के अन्दर जाकर खोला गया था। जैसा कि इस संबंध में कोटवार महादेव अ0सा08 के कथन से भी स्पष्ट है एवं विवेचना अधिकारी जी.पी.शाक्त अ0सा0

13 के द्वारा भी यह बताया गया है। यदि अन्दर वाले कमरे का दरवाजा ढीला है और कुंदी हाथ डालकर खुल सकती है तो इसके आधार पर यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि मृतिका एवं उसके पुत्र को पहले मिट्टी का तैल डालकर मारा गया है।

28. आरोपी के मौके पर मौजूद न होने के आधार पर भी उसके द्वारा मृतिका को मारकर जला देने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जब तक कि इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं हो कि आरोपी के द्वारा ही मृतिका पूनम को मिट्टी का तैल छिड़ककर उसे जलाकर उसकी हत्या की गई हो। इस प्रकार मृतिका पूनम की हत्या कर उसे जलाया गया हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता।

29. यद्यपि मृतिका पूनम की हत्या करने के उपरांत उसे जलाए जाने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के द्वारा बताया गया तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, किन्तु निश्चित तौर से मृतिका पूनम की मृत्यु जलने के कारण हुई है। मृतिका की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई हो अथवा मृतिका की मृत्यु किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण हुई हो ऐसा भी कहीं प्रमाणित नहीं है। निश्चित तौर से मृतिका की मृत्यु दाह (जलने के कारण) हुई है जो कि सामान्य प्रकार की मृत्यु न होकर अस्वभाविक मृत्यु है।

30. धारा 304बी भारतीय दंड विधान के अपराध की प्रमाणिकता हेतु यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो। मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित पाये जाने पर ही धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की जा सकेगी।

31. वर्तमान प्रकरण में मृतिका पूनम का विवाह आरोपी अवधेश के साथ सम्पन्न होने के संबंध में साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसकी लड़की पूनम की शादी पूनम मृत्यु के पांच साल पहले हुई थी। इसी प्रकार साक्षी कौंती शर्मा अ0सा0 2 ने भी मृत्यु के पांच साल पहले पूनम की शादी होना अपने मुख्य परीक्षण में बतायी है। साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 तथा पंकज शर्मा अ0सा0 4 के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में उसकी मृत्यु के पांच साल पहले पूनम की शादी होना अभिकथित किया है।

32. उपरौक्त संबंध में साक्षी बृजमोहन शर्मा के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 में यह बताया है कि पूनम की शादी 2007 में हुई थी। शादी के संबंध में कार्ड बगैरह छपे थे। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उनके पास इस संबंध में लिखितम मौजूद है कि शादी किस तिथि को हुई थी, उसे वह पेश कर सकता है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदनपत्र प्र.पी. 5 में सन् 2007 में शादी होने का उल्लेख किया गया है और इसी प्रकार

पुलिस कथन प्र.डी. 1 में भी पूनम की शादी वर्ष 2007 में होने के संबंध में बताया था, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि न तो प्र.पी. 5 में जो कि लिखित रिपोर्ट है तथा ना ही प्र. डी. 1 में इस बात का उल्लेख है कि पूनम की शादी वर्ष 2007 में हुई थी। साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि पूनम की शादी वर्ष 2004 के आषाढ महीने की भडईया नवमी की थी, जिस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है।

33. यह उल्लेखनीय है कि पूनम का विवाह आरोपी अवधेश के साथ सम्पन्न होने के संबंध में साक्षिया कांती शर्मा के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि पूनम की शादी अवधेश के साथ भडईयां नवमी को की थी। इस बारे में वह नहीं जानती कि सन् 2004 में शादी हुई थी। यद्यपि स्वतः में उसके द्वारा बताया गया कि पांचवां साल चल रहा है। इस बिंदु पर साक्षी पंकज शर्मा अ0सा0 4 के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि पूनम की शादी किस तारीख, महीना और सन् में हुई थी। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी अमिताभ शर्मा अ0सा0 7 के द्वारा पूनम की शादी उसकी मृत्यु के 08-10 साल पहले होना अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है फिर बताया है कि पांच साल पहले हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि पूनम की शादी आरोपी अवधेश के साथ कब हुई थी।

34. उपरौक्त संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि अभियोजन साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 जो कि मृतिका का चाचा है के द्वारा स्पष्ट रूप से कंडिका 10 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृतिका पूनम की शादी आषाढ माह की भडईयां नवमी को सन् 2004 में हुई थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी बृजमोहन शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि पूनम की शादी के संबंध में कार्ड बगैरह छपे थे और उनके पास इस संबंध में लिखितम मौजूद है कि उसकी शादी किस तिथि को हुई थी उसे वह पेश कर सकते हैं, किन्तु इस संबंध में फरियादी के द्वारा विवाह का कार्ड या अन्य कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। निश्चित तौर से जब कि फरियादी उसके पास मृतिका की शादी के संबंध में कार्ड बगैरह लिखितम मौजूद होना स्वीकार किया है किन कारणों से उक्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए है यह विचारणीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचना अधिकारी को भी विवाह के संबंध में कोई विवाह कार्ड जिसमें विवाह की तिथि का उल्लेख हो या अन्य कोई लिखितम दिया गया हो अथवा उसकी कोई जप्ती हुई हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं हुआ है। साक्षी बृजमोहन शर्मा को यह सुझाव दिया गया है कि विवाह का कार्ड सन् 2004 का था इसलिए पेश नहीं किया है साक्षी ने यद्यपि उक्त सुझाव को इंकार किया है। यदि विवाह के संबंध में कार्ड व अन्य दस्तावेज मौजूद था जिमसे कि विवाह का वर्ष 2007

उल्लेखित है तो वह इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता था जो कि अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं।

35. निश्चित तौर से जब कि स्वयं अभियोजन साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि पूनम की शादी आषाढ माह की भडईयां नवमी को सन् 2004 में हुई थी तथा फरियादी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके पुलिस कथन में भी कहीं भी विवाह सम्पन्न होने की वर्ष का उल्लेख नहीं है। केवल 5-6 वर्ष पूर्व होना बताया गया है। साक्षी सुरेश शर्मा के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्ति कि शादी आषाढ माह की भडईयां नवमी को सन् 2004 में हुई थी वह आकस्मिक प्रकार की स्वीकारोक्ति है ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

36. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी श्रीमती द्रोपती बचाव साक्षी 01, मिथलेश बचाव साक्षी 02 तथा रामरूप बचाव साक्षी 03 जो कि ग्राम एंचाया के रहने वाले हैं और मृतिका की ससुराल में पड़ोसी हैं के द्वारा भी सन् 2014 से 10-11 साल पहले उसकी शादी आरोपी अवधेश के साथ होना बताया है। उपरोक्त संबंध में उपरोक्त बचाव साक्षी श्रीमती द्रोपती को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि पूनम की शादी मरने के 6-7 साल पहले हुई थी। उसके द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि शादी के 5 बाद पूनम खत्म हो गई थी। इसी प्रकार साक्षी मिथलेश के द्वारा भी इस सुझाव को गलत बताया है कि पूनम की शादी मरने के 5 साल पहले सम्पन्न हुई थी और साक्षी रामरूप के द्वारा भी पूनम की शादी उसके मरने के पांच साल पूर्व सम्पन्न होने के सुझाव को इंकार किया है। निश्चित तौर से उक्त बचाव साक्षीगण के कथन से भी बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि मृतिका पूनम की शादी अवधेश के साथ वर्ष 2004 में आषाढ माह की भडईयां नवमी को होना तथा जिस तथ्य को स्वयं अभियोजन साक्षी सुरेश अ0सा0 3 के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

37. मृतिका पूनम की मृत्यु दिनांक 24.03.2012 को हुई है। मृतिका पूनम का विवाह वर्ष 2004 में आषाढ माह में भडईयां नवमी को सम्पन्न होने के संबंध में अभियोजन साक्षी सुरेश शर्मा की स्वीकारोक्ति है। उसके विवाह के संबंध में विवाह का कार्ड व अन्य लिखितम मौजूद होने के उपरान्त भी अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि मृतिका पूनम की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है। दहेज मृत्यु हेतु उपधारणा बावत् विवाह के सात वर्ष के अंदर मृत्यु होना आवश्यक तत्व है। जैसा कि इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट पे.न. 2311**

अशोक कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ एन.सी.टी. देहली बगैरह में अवधारित किया है।

38. धारा 304बी भारतीय दंड विधान की प्रमाणिता सिद्ध करने हेतु यह प्रमाणित करना भी आवश्यक है कि मृत्यु के ठीक पहले मृतिका को पति या पति के नातेदार होते हुए दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित किया हो। मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की माँग को लेकर के क़ूरता किया जाना धारा 304बी भारतीय दंड विधान तथा इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा हेतु आवश्यक है। जैसा कि इस संबंध में **ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 1454 तरसेम सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट 2555 मनोहरलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, आई.एल.आर 2012 एम.पी. पे. 2185, आई.एल.आर. 2014 एम.पी. पे 493** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित किया गया है।

39. जहाँ तक मृतिका पूनम से दहेज की माँग करने एवं दहेज की माँग को लेकर उसे परेशान और प्रताड़ित करने का प्रश्न है। इस बिंदु पर साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि विवाह के उपरांत लडकी उनके यहाँ ससुराल से आती जाती थी। लडकी का दो बार गर्भ खराब हो गया था जिसका उन्होंने इलाज कराया था। साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि जब लडकी ससुराल से उनके यहाँ आती थी तो उन्हें बताती थी कि सास व जिठानी दहेज माँगती थी। बच्चे के जन्म के पश्चात् पछ (पुत्र होने के उपलक्ष में दिया जाने वाला उपहार) में उपहार दिया गया था। उसके बाद लडकी के जेठ बृजेश ने 6 महीने बाद कहा कि एक लाख रुपए दे दो नहीं तो पहले जैसे हमने लडकी मार दी थी, वैसे ही इसको मार देंगे। उन्होंने दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की थी।

40. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि सगाई के समय दहेज की माँग की थी, किन्तु इस संबंध में लिखित आवेदनपत्र प्र.पी. 5 में सगाई के समय आरोपी अवधेश के पति के द्वारा साढ़े तीन लाख रुपए माँगने के संबंध में कोई बात नहीं लिखी है। साक्षी को पूछे जाने पर यह बताया है कि वह नहीं बता सकता कि शादी के बाद कौन कौन सी तारीख में दहेज की माँग की गई थी। दहेज की माँग के संबंध में उन्होंने कोई पंचायत बगैरह भी नहीं बुलाई थी और ना ही पुलिस में रिपोर्ट की थी। कंडिका 15 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि पूनम की मृत्यु के दो महीने पहले वह ऐचाया ग्राम गया था उस समय बच्ची राजी-खुशी थी उसे कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसी कंडिका में आगे साक्षी के द्वारा बताया गया कि लडकी ने यह बताया था कि ससुर, सास एक लाख रुपए लाने के लिए कहते थे। इस संबंध

में उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षण में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि लडकी के जेट बृजेश के द्वारा एक लाख रूपए की माँग की गई थी जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बता रहा है कि लडकी के ससुर और सास कहते थे कि एक लाख रूपए लाओ। इस प्रकार इस बिन्दु पर साक्षी के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में आये हुए कथन विरोधाभासी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान आरोपी अवधेश के द्वारा कभी भी मृतिका से कोई दहेज की माँग की गई हो ऐसा किसी भी साक्षी के साक्ष्य कथन में नहीं आया है।

41. दहेज की माँग को लेकर मृतिका पूनम को प्रताडित किए जाने के संबंध में साक्षी कांती शर्मा अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि पूनम का लडका होने के उपलक्ष में पछ में सामान दिया था। उसके बाद पूनम तीन महीने तक उनके घर रही फिर 6 माह बाद आरोपीगण के द्वारा एक लाख रूपए की माँग की गई। प्रतिपरीक्षण में कंडिका 6 में साक्षी ने बताया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि शादी के समय लेन-देन के संबंध में कोई माँग हुई थी या नहीं। इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसके पति ने बताया था कि तीन लाख रूपए शादी में खर्चा हुआ था और पचास हजार रूपए का सामान दिया था। उसके समक्ष शादी के समय में लेन-देन के संबंध में कोई माँग हुई के संबंध में कोई जानकारी उसे नहीं है। निश्चित तौर से वर्तमान साक्षी जो कि मृतिका की माँ है जो कि यह बता रही है कि शादी के समय दहेज की माँग या कोई लेन-देन के संबंध में उसे जानकारी नहीं है जो कि अस्वभाविक लगता है। शादी में लेन-देन या दहेज आदि के संबंध में सामान्यतः घर की महिलाओं को विशेषकर लडकी की माँ को अधिक जानकारी रहती है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में साक्षी ने यह बताया है कि शादी के दो साल बाद लडकी ने बताया कि दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं। एक लाख रूपए की माँग के संबंध में उनके द्वारा कभी भी कोई पंचायत नहीं की गई थी और न ही कोई रिपोर्ट की गई थी। उक्त एक लाख रूपए की माँग किस आरोपी के द्वारा की गई थी ऐसा भी कहीं साक्षिया के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इस संबंध में साक्षिया के द्वारा सामान्य प्रकार का कथन किया है। ऐसी दशा में साक्षिया के कथन के आधार पर कि मृत्यु के ठीक पूर्व मृतिका पूनम को दहेज की माँग को लेकर प्रताडित किया गया हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

42. उपरौक्त बिंदु पर साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा यह बताया गया है कि पूनम को उसकी सास, जेट, जिठानी तथा पति अवधेश परेशान करते थे। पूनम बताती थी कि उससे पैसा माँगते थे। पूनम का लडका होने के उपरांत पछ दिया गया था। उसके मरने के दो पहले एक लाख रूपए की माँग ब्रजेश (जो कि मृतिका का जेट है) तथा संतोष (जो कि मृतिका की सास है) करती थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा कंडिका 4 में यह बताया गया है

कि पूनम की शादी में देने के लिए उनके पास रूपए, टके नहीं थे, इसलिए दुजिया (जिसकी पत्नी पहले खत्म हो चुकी हो) के साथ पूनम की शादी की थी तथा कंडिका 7 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि उससे आरोपी अवधेश ने दहेज की कोई माँग नहीं की थी और न ही पूनम ने इस बारे में उसे बताया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी दहेज की माँग को लेकर मृतिका को आरोपी के द्वारा प्रताड़ित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

43. साक्षी पंकज शर्मा अ.सा. 4 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि पूनम का लडका होने के बाद एक लाख रूपए की माँग आरोपीगण द्वारा की गई थी जो कि अवधेश का फोन आया था कि एक लाख रूपए और चाहिए। उक्त फोन उसने पूनम से करवाया था। फिर उसके पिताजी पूनम की ससुराल गए थे और दहेज देने से मना कर दिया था और कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हम नहीं दे पाएंगे।

44. उक्त साक्षी पंकज शर्मा अ.सा. 4 की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है प्रतिपरीक्षण में कंडिका 3 में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि वह 12वीं तक पढा-लिखा है। 12वीं की परीक्षा पोरसा के पास गढिया से दी थी जो कि उनके गाँव से 50 किलो मीटर दूर है। उसने गढिया का स्कूल नहीं देखा है और न ही गाँव देखा है। वह यह नहीं बता सकता कि गढिया का स्कूल कितने मंजिल है। उसके पास 12वीं की मार्कशीट है। निश्चित तौर से जब कि उक्त साक्षी के द्वारा न तो ग्राम गढिया का स्कूल देखा गया है और न ही वह कभी ग्राम गढिया गया है। इसके उपरांत भी गढिया के स्कूल से उसके पास 12वीं कक्षा की मार्कशीट है जिसमें 58 प्रतिशत अंक प्राप्त होना बताया जा रहा है, उक्त तथ्य साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी बृजमोहन जो कि वर्तमान साक्षी का पिता है उसके द्वारा या अन्य अभियोजन साक्षी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी अवधेश ने पूनम से एक लाख रूपए और दहेज के रूपए में लाने के लिए फोन करवाया था और फिर वह लडकी की ससुराल ग्राम एंचाया गया था जबकि साक्षी पंकज के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसके पिता पूनम की ससुराल ग्राम एंचाया गये थे जो कि पूनम के द्वारा दहेज की माँग के संबंध में आरोपी अवधेश के द्वारा फोन कराए जाने के उपरांत एंचाया गया थे। ऐसी दशा में उक्त साक्षी जो कि इस संबंध में एक नई कहानी बता रहा है तथा जिसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है, उसके कथन के आधार पर आरोपी अवधेश के द्वारा मृतिका पूनम की मृत्यु के ठीक पूर्व से दहेज की माँग करने व दहेज की माँग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

45. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मृतिका पूनम आरोपी अवधेश की पहले पत्नी की मृत्यु होने के उपरान्त दूसरी विवाही हुई पत्नी है और उसके विवाह के समय पहले विवाह की एक 3-4 साल की पुत्री आरोपी अवधेश की थी। जैसा कि इस संबंध में अभियोजन साक्षी ब्रजमोहन शर्मा अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 6, साक्षी कांती शर्मा के प्रतिपरीक्षण कंडिका 3, साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 की प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 तथा पंकज शर्मा की प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 के कथनों से स्पष्ट है। साक्षी ब्रजमोहन शर्मा के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि सामान्यतः कोई पिता अपनी पुत्री की शादी किसी कुआरे लडके के साथ करना चाहता है। इसी प्रकार साक्षी कांती शर्मा के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया है कि आम तौर पर अपनी लडकी की शादी दूसरी विवाहे लडके के साथ नहीं करते हैं। साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा भी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास शादी के लिए कुछ पैसा टका नहीं था इसलिए उन्होंने दुजिया लडके जिसकी शादी पहले हो चुकी थी और जिसकी एक बेटी भी थी उसके साथ पूनम की शादी कर दी थी। साक्षी पंकज शर्मा अ0सा0 6 के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि कोई भी माता-पिता अपनी कुवारी लडकी का विवाह ऐसे लडके के साथ नहीं करेंगे जिसकी पहली पत्नी मर गई हो और एक बेटी हो तथा इस बात की उसे कोई जानकारी न होना बताया है कि उसके माता पिता ने गरीबी के कारण या सस्ते में शादी हो जाए इसलिए दुजिया लडके से पूनम की शादी कर दी थी।

46. इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों के परिप्रेक्ष्य में भी यह स्पष्ट है कि पूनम का विवाह ऐसे लडके से जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और जिसकी एक 4-5 साल की बेटी भी थी के साथ यह जानते हुए उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वह बिधुर है शादी सम्पन्न की गई थी। जो कि इस संबंध में साक्षी सुरेश शर्मा के द्वारा भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उनके पास लडकी की शादी के लिए पैसा टका नहीं था इस कारण ऐसे लडके से उसकी शादी की थी। सामान्य रूप से कोई पिता जो कि साधन सम्पन्न हो वह यह चाहेगा कि उसकी लडकी का विवाह किसी ऐसे लडके से हो जो कि कुवारा हो और उसकी हैसियत अच्छी हो। पहले से ही शादी सुदा लडका जिसकी कि एक पुत्री भी हो के साथ दहेज देकर शादी सम्पन्न करना साधारणतः मान्य भी नहीं जा सकता।

47. इस प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य भी कि मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व वर्तमान आरोपी अवधेश के द्वारा मृतिका से दहेज की कोई माँग की गई हो अथवा दहेज की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित कर कूरता की गई हो का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में जबकि मृतिका पूनम का विवाह आरोपी अवधेश

के साथ उसकी मृत्यु के सात वर्ष के अंदर होना का तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा मृतिका को मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की माँग को लेकर प्रताडित किए जाने के संबंध में भी कोई समुचित व सम्पुष्टि कारक साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में मृतिका पूनम की दहेज हत्या बावत् धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दहेज मृत्यु होने की अवधारणा नहीं की जा सकती।

48. अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि मृतिका पूनम को आत्महत्या करने हेतु उसके पति अवधेश के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया और पति के कृत्यों से परेशान व प्रताडित होने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। ऐसी दशा में मृतिका पूनम को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने जो कि धारा 306 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दण्डनीय है आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आरोपी के द्वारा अपनी विवाहिता पत्नी को प्रताडित किया गया है और उसकी प्रताडना के फलस्वरूप मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया इस परिप्रेक्ष्य में धारा 498ए भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषसिद्ध भी आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित हुई है। जबकि बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कोई आरोप विरचित नहीं है तथा दहेज की माँग को लेकर मृतिका को प्रताडित करने और उसके प्रति क्रूरता का भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में उक्त धाराओं के अंतर्गत भी आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

49. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, सर्वप्रथम धारा 306 भारतीय दंड विधान का जहाँ तक प्रश्न है उक्त धारा के अंतर्गत आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण के संबंध में दण्ड का प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण के संबंध में धारा 107 भारतीय दंड विधान के संबंध में उल्लेखनीय है जिसके अनुसार दुष्प्रेरित तीन प्रकार से हो सकता है— (1) किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाकर। (2) उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ शामिल होकर। (3) उस बात को किए जाने पर किसी कार्य या लोप द्वारा शास्य सहायत कर। अतः उपरोक्त तत्वों से एक या एक से अधिक की पूर्ती हुई हो तो इस संबंध में अपराध की प्रमाणिकता मानी जा सकती है।

50. वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतिका पूनम की मृत्यु हत्यात्मक स्वरूप की नहीं है, बल्कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर मृतिका पूनम के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का तथ्य आया है एवं साक्ष्य के आधार पर पूनम के द्वारा आत्महत्या किया जाना प्रमाणित होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या मृतिका पूनम की आत्महत्या करने हेतु आरोपी अवधेश के द्वारा किसी प्रकार से दुष्प्रेरित किया गया?

51. मृतिका पूनम को आरोपी अवधेश के द्वारा परेशान कर प्रताडित किए जाने के संबंध में साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा बताया गया है कि उसकी लडकी को मारपीट कर आरोपी परेशान करता थे। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्व साक्षी कांती शर्मा अ0सा0 2 जो कि मृतिका पूनम की माँ है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसकी लडकी को आरोपी एक लाख रुपए दहेज की माँग को लेकर परेशान करते थे। उक्त साक्षिया ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि उसकी लडकी आती जाती रहती थी। आरोपी अवधेश का पुष्पा के साथ संबंध बन गया था। उक्त बात जब उसकी बिटिया उसके घर आती थी तब बताती थी। पूनम ने अवधेश से कहा था कि तुम्हें ऐसा ही करना था तो उसकी जिंदगी खराब क्यों की। अवधेश ने कहा था कि उससे ज्यादा प्यार पुष्पा से करेगा। पूनम ने अपनी सास से भी कहा था कि उन्हें समझाओ यह अच्छी बात नहीं है। सास ने कहा था कि पूनम को खत्म कर दो नहीं तो बदनामी करती रहेगी। उसके बाद सूचना मिली कि पूनम आग लगाकर जल गई है।

52. इस संबंध में मृतिका पूनम के द्वारा अपनी माँ कांती बाई को स्पष्ट तौर से उसके पति अवधेश का पुष्पा के साथ संबंध हो जाना एवं लडकी के द्वारा इस बात का विरोध करने पर आरोपी अवधेश के द्वारा यह कहा गया कि वह उससे ज्यादा प्यार पुष्पा से करता है और उसी के उपरांत पूनम के द्वारा आत्महत्या की गई। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षिया ने यद्यपि यह बताया है कि अवधेश का पुष्पा के साथ संबंध बन जाने की बात किसी तारीख, महीना, सन् में बताई थी यह वह नहीं बता सकती। किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षिया जो कि ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित महिला है तथा जो कि अंगूठा निशान लगाती है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह दिन तारीख और सन् याद रखे। साक्षिया के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसकी लडकी ने अवधेश के संबंध पुष्पा के साथ हो जाने की बात उसे बताई थी और उसके बाद ही लडकी की मृत्यु हुई। सामान्यतः कोई लडकी इस प्रकार की बात अपनी माँ को ही बताती है जिनसे कि उसके इस प्रकार के संबंध रहते हैं कि वह अपने मन की सभी बातें बता सके। इस बिन्दु पर साक्षिया कांती बाई के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को दृढ़ता से इंकार किया है कि उपरोक्त बातें वह झूठ बोल रही है और उसकी पुत्री पूनम ने उसे अवधेश के संबंध पुष्पा से होने के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी। इस प्रकार साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिंदु पर उसके द्वारा किया गया कथन अखण्डनीय है। इस बिन्दु पर साक्षिया पूर्णतः विश्वास योग्य है। मात्र इस आधार पर कि अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा इस बिन्दु पर कोई कथन नहीं किए गए हैं इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मृतिका अपने माँ के अतिरिक्त अन्य लोगों को

भी इस बारे में बताए।

53. इस प्रकार मृतिका पूनम उसके पति अवधेश के द्वारा अन्य महिला पुष्पा से संबंध हो जाने के कारण परेशान थी और उसके द्वारा पति को मना भी किया गया था और अपनी सास को भी बताया था, किन्तु कोई समाधान न होने से उसके द्वारा आत्महत्या करने का कदम उठाया गया। सामान्यतः कोई महिला इस बात को बरदास्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी महिला से संबंध बनाए रखे। यदि किसी दूसरी महिला से पति कोई संबंध बनाता है और महिला के मना करने पर भी वह नहीं मानता है तो निश्चित तौर से उससे कोई महिला परेशान होकर के और पति के इस प्रकार के कृत्य के कारण जो कि उकसाने की श्रेणी में आता है। यदि उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है तो ऐसी आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु उसका पति जिम्मेदार होगा।

54. धारा 498ए भारतीय दंड विधान का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त धारा के अंतर्गत किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो कि ऐसी प्रकृति का हो जिससे कि उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसके या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा हो। उपरोक्त वैधानिक स्थिति में परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

55. अभियोजन साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी लडकी से दहेज की मांग की जाती थी और इस कारण लडकी को परेशान और प्रताडित किया जाता था और लडकी के साथ आरोपी के द्वारा आरोपी मारपीट की जाती थी। साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3 ने भी पूनम को आरोपी अवधेश के द्वारा परेशान करने और पूनम के द्वारा उसे इस बारे में बताना अभिकथित किया है। इसी प्रकार साक्षी पंकज शर्मा के द्वारा भी पूनम को दहेज की मांग को लेकर परेशान करने के संबंध में बताया है।

56. इस बिन्दु पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन साक्षी कांती शर्मा अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ है उसने भी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग करने तथा आरोपी अवधेश की

संबंध अन्य महिला से होने और लडकी के द्वारा मना करने पर उसके द्वारा न मानने जिससे की उसकी लडकी परेशान रहने और इस कारण आग लगाकर मरने के संबंध में बताया है। इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना में इस संबंध में उक्त साक्षिया के कथन विश्वसनीय पाए गए हैं। निश्चित तौर से वर्तमान आरोपी जो कि मृतिका पूनम का पति है के द्वारा किया गया आचरण के कारण ही पूनम को आत्महत्या करने हेतु प्रेरित किया गया जो कि धारा 498ए भारतीय दंड विधान के अंतर्गत क्रूरता की श्रेणी में आएगा। उक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य कि मृतिका पूनम को उसके पति के द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया प्रमाणित है।

57. बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि मृतिका पूनम को तकलीफ रहती थी वह मासिक धर्म की बीमारी के कारण परेशान थी और उससे उसको गर्भ नहीं ठहरता था। इस कारण परेशान होकर के उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी द्रोपती ब.सा. 1, मिथलेश ब.सा. 2, रामरूप ब.सा. 3, डॉक्टरी जे.पी.गुप्ता ब.सा. 4 के कथन कराए हैं। साक्षी द्रोपती ब.सा.1 और मिथलेश ब.सा. 2 जिनके द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया है कि पूनम के पेट और छाती में दर्द रहता था और पूनम का दो बार बच्चा पेट में आकर गिर गया था। उसकी महावारी ठीक ढंग से नहीं होती थी। बीमारी से हतास होकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस बिंदु पर साक्षी रामरूप भी पेट और छाती की बीमारी पूनम को होने के संबंध में बता रहा है। साक्षी डॉ. जे.पी. गुप्ता के द्वारा भी पूनम को उनके द्वारा देखा जाना और पूनम में दर्द व मासिक धर्म में अनियमितता होना जिसका कि उन्होंने इलाज के लिए दवाईयाँ लिखना बताया है जो कि वर्ष 2007, 2008, 2011-12 में पूनम का इलाज करना और प्र.डी. 6 लगायत 11 के पर्चे उनके द्वारा लिखा होना बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा बताया गया कि वह मरीज का कोई रिकार्ड या रजिस्टर में इंदिराज नहीं करते हैं, बल्कि घर पर केवल पर्चे लिख देते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि डॉ. जे.पी.गुप्ता के द्वारा मृतिका पूनम का इलाज किया गया, किन्तु उसकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि वह उक्त बीमारी के कारण आत्महत्या कर ले। यह भी उल्लेखनीय है कि पूनम के पुत्र भी हो गया था तथा इस संबंध में यह भी अति महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के उपरांत मृतिका पूनम के शव परीक्षण में 6 से 8 सप्ताह का भ्रूण मौजूद होना पाया गया था। जैसा कि डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 11 के साक्ष्य कथन में आया है। इस प्रकार मृत्यु के समय मृतिका पूनम गर्भवती भी थी। इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त बचाव साक्षियों के कथन के आधार पर कि मृतिका पूनम मासिक धर्म की अनियमितता व गर्भ न ठहरने के कारण मानसिक रूप से परेशान रहती थी यह मान्य नहीं किया जा सकता। उपरोक्त बचाव साक्षियों के कथन के परिप्रेक्ष्य में मृतिका पूनम की आत्महत्या के लिए बचाव

पक्ष के द्वारा बताया गया कारण कतापि मान्य किए जाने योग्य नहीं है।

58. यद्यपि यह सत्य है कि आरोपी अवधेश के विरुद्ध पृथक से धारा 306 भारतीय दंड विधान का आरोप विरचित नहीं है, उसके विरुद्ध धारा 304बी भा.दं.वि0 के अंतर्गत आरोप लगाया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी भारतीय दंड विधान का अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है और उसके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। यद्यपि आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी भारतीय दंड विधान का अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है, किन्तु धारा 215 एवं 221 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड विधान का आरोप विरचित न होने के उपरांत भी उसे धारा 306 भारतीय दंड विधान हेतु उसे दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। जैसा कि इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा के.प्रेमा एस.राँव बगैरह विरुद्ध यादोला श्रीनिवास राँव(2003)¹ एस.सी.सी.17 तथा नरविंदरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (2011)² एस.सी.सी.4** में अवधारित किया गया है कि आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी भा.दं.वि0 में दोषमुक्त होने के उपरांत भी धारा 215, 221 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 306 भा.दं.वि0 हेतु दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

59. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि आरोपी अवधेश के द्वारा उसकी पत्नी पूनम की दहेज मृत्यु कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है, किन्तु आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी पूनम को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का तथ्य प्रमाणित हुआ है तथा आरोपी के द्वारा अपनी विवाहिता पत्नी के साथ कूरता का व्यवहार करने का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है। आरोपी के द्वारा पूनम के पति रहते हुए दहेज की कोई माँग किए जाने का तथ्य भी उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं हुआ है।

60. तदनुसार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी अवधेश को धारा 304बी भारतीय दंड विधान के आरोप से दोषमुक्त करते हुए उसके स्थान पर धारा 306 भारतीय दंड विधान हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है। इसके अतिरिक्त आरोपी अवधेश को धारा 498ए भारतीय दंड विधान के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है। धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

61. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया

जाता है।

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

पुनश्चयः—

62. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उनका निवेदन है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। आरोपी प्रारंभ से ही दिनांक 14.04.2012 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

63. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी अवधेश के विरुद्ध धारा 306, 498ए भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया है। अपराध की प्रकृति एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी अवधेश को धारा 306 भा.दं.वि. के अपराध हेतु सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 498ए भा.दं.वि. के अपराध हेतु तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में क्रमशः 6 माह एवं 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाए। आरोपी को प्रदत्त उक्त दोनों धाराओं की मूल सजा साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश किया जाता है।

64. प्रकरण के अनुसंधान और विचारण के दौरान आरोपी अवधेश के द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जाए। इस संबंध में प्रथक से धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

65. प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुएं जो कि जप्तीपत्रक के अनुसार हैं, उनमें से जिंदा कारतूस विधिवत अपील अवधि पश्चात् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाए। जप्तीपत्रक में दर्शाई गई शेष वस्तुएं मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड